



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1944 (श10)
(सं0 पटना 241) पटना, वृहस्पतिवार, 16 मार्च 2023

उद्योग विभाग

अधिसूचना
6 जनवरी 2023

सं० 5/स० बियाडा (औद्योगिक क्षेत्र)-09/2022/137—बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 2 (च) धारा 4 (क) (i) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा कार्यकारी निदेशक (ऑपरेशन्स), बियाडा, पटना के पत्रांक 38/L दिनांक-03.01.2023 एवं पत्रांक-39/L दिनांक-03.01.2023 द्वारा अनुशंसित निम्नांकित क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है:—

क्र०सं०	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला का नाम	कुल रकबा (एकड़)	इकाई/निगम का नाम
1	औद्योगिक क्षेत्र, चम्पानगर, नाथनगर, भागलपुर।	भागलपुर	26 कट्ठा	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि०, पटना।
2	औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना।	पटना।	35,972 वर्ग फीट	उद्योग भवन।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आलोक कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 241-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>